न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा
म0प्र0

लालबिहारी तनय स्व0 राजाराम तिवारी उम्र 62 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम कृष्णगढ पोस्ट कृष्णगढ तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

——— आवेदक /निगरानीकर्ता

बनाम

1— आशा सिंह पत्नी विजय बहादुर सिंह उम्र 42 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम कृष्णगढ पोस्ट कृष्णगढ तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

2— म0प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष सतना म0प्र0

——— अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त व तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 के प्रकरण क0 1अ12/13—14 दिनांक 05--06—15 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :—

1— आराजी क0 999 रकवा 6.58 डि0 स्थिति ग्राम कृष्ण गढ रामगरीब बल्द गयादीन कुर्मी के नाम अर्सा 71 वर्ष पूर्व नाम दर्ज था किन्तु रामगरीब ग्राम कृष्ण गढ से तर्क सकूनत कर गये थे और ग्राम कुशमहर तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 में निवास करने लगे थे चूकि आवेदक के पिता राजाराम व चाचा चन्दी प्रसाद के पुत्र श्यामलाल, जगशरण देवशरण, दिनेश काबिज रहे आये जिस कारण से म0प्र0 भू0रा0सं0 बनाने पर भूमिस्वामी आवेदक एवं उसके भाई तथा आवेदक के चाचा के लडके का हो गया उक्त भूमि पर जो रामगरीब का हक था वह हक समाप्त हो गया था। आवेदक एवं उसके चचेरे भाई के नाम पर नामान्तरण हो गया ~~लेकिन हो गया~~ लेकिन 1.01 ए0 सहबन नामान्तरण से बच गई जिसकी जानकारी आवेदक के परिवार

(346)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5083 II/2015 जिला–सतना

लालबिहारी तिवारी/आशा सिंह

	(2)	(3)
23-04-19–	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त व तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 01/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	